न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा
पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1290/2026
(CNR No. UPET010043662026)

मिहीपाल उम्र करीब 81 वर्ष पुत्र खुर्रम सिंह, निवासी नगला हरजू, थाना नयागांव, जिला एटा। ----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

परिवाद संख्या–7148/2023
धारा–419,420,468,120 बी भा०द०सं०
थाना–अलीगंज, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **मिहीपाल** की ओर से परिवाद संख्या–**7148/2023** जुर्म अन्तर्गत धारा–**419,420,468,120 बी भा०द०सं०,** थाना **अलीगंज**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी विपिन कुमार के पिता दो भाई बादशाह व प्रमोद थे, जिनके नाम गाटा सं0–183/0.441 हैक्टे0 जमीन थी, जो पैत्रिक रूप में मिली थी। सरकारी खतौनी में दर्ज थी और मालिक थे। परिवादी के चाचा प्रमोद उक्त गाटा संख्या 183/0.441 हैक्टे0 में 1/2 भाग के मालिक थे, जिसका बैनामा बृजपाल ने चाचा प्रमोद के स्थान पर किशनपाल को खड़ा करके और किशनपाल का फोटो लगवाकर चाचा प्रमोद के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जमीन का बैनामा तहसील अलीगंज जिला एटा में दिनांक 17.03.2008 को फर्जी तरीके से करा लिया था। उक्त बैनामा जो तहसील अलीगंज में किशनपाल ने चाचा प्रमोद के स्थान पर खड़े होकर किया, उसकी शिनाख्त गवाह के रूप में मिहीपाल व फतेह सिंह ने की है। परिवादी के चाचा प्रमोद की जमीन को हड़पने की नीयत से उक्त बृजपाल, किशनपाल, मिहीपाल व फतेह सिंह ने एक योजित षडयन्त्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी कूटरचित कर धोखाधड़ी से फर्जी बैनामा दिनांक 17.03.2008 को तहसील अलीगंज जिला एटा में कराया था। परिवादी के पिता की मृत्यु हो गयी और चाचा की भी मृत्यु हो गयी, चाचा के कोई संतान न होने के कारण उनका और कोई वारिश नहीं था। परिवादी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी फौती के लिए लेखपाल देहा से सम्पर्क किया तो पता चला कि चाचा प्रमोद की जमीन की अमल दरामद बृजपाल के नाम हो चुकी है, तो परिवादी ने तहसील अलीगंज में मुआयना कराया तो पता चला कि दिनांक 17.03.2008 को किशनपाल ने चाचा प्रमोद की जमीन का बैनामा फर्जी तरीके से कर दिया है और फोटो से भी परिवादी ने पहचाना है। परिवादी ने बृजपाल से सम्पर्क किया तो कहा कि हॉ हमने जमीन लिखाई है, अब वे कब्जा लेगे। उक्त चारो लोगो ने मिलकर फर्जी कूटरचित कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर यह कृत्य परिवादी की चाचा प्रमोद की जमीन हड़प करने की नीयत से धोखाधड़ी से यह कृत्य तहसील अलीगंज जिला एटा में किया है।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 14:53:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे उपरोक्त मुकदमा में रंजिशन झूठा फँसाया गया है। मामला सिविल प्रकृति का है और बैनामा निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा कोई कूटरचना नहीं की गयी है और ना ही किसी को धोखा दिया है। सही बात यह है कि प्रश्नगत बैनामा भूमि के असली मालिक प्रमोद द्वारा किया गया है और प्रमोद की शिनाख्त आवेदक ने की है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 81 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा परिवादी एवं साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

चूंकि मामला परिवाद पर आधारित है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त को एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई विवेचना नहीं की गयी है। मामला सिविल प्रकृति का है और बैनामा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन है। आवेदक को कथित बैनामा का गवाह होना बताया गया है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/ अभियुक्त के आपराधिक इतिहास होने के सम्बन्ध में थाने से आख्या प्राप्त नहीं है। सहअभियुक्त बृजलाल की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 27.03.2024 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मिहीलाल** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानते व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 10.07.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।